भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3041
जिसका उत्तर शुक्रवार, 13 दिसम्बर, 2024 को दिया जाना है

विधिक अवसंरचना में सुधार

3041. श्री दिनेशभाई मकवाणा :

श्रीमती कमलजीत सहरावत :

श्रीमती स्मिता उदय वाघ :

श्री बसवराज बोम्मई :

श्री प्रवीण पटेल :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा देश भर में विधिक अवसंरचना में सुधार करने और वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) तंत्र को बढ़ावा देने के लिए क्या विशिष्ट उपाय किए गए हैं और उनके क्या परिणाम निकले हैं ;

(ख) सरकार ने विशेष रूप से सीमांत समुदायों के लिए मध्यस्थता, पंचाट और सुलह जैसे एडीआर तंत्रों की पहुंच और दक्षता को किस प्रकार बढ़ाया है ;

(ग) हाल के वर्षों में एडीआर तंत्र को सुदृढ़ करने के सरकार के प्रयासों के परिणामस्वरूप क्या उपलब्धियां दर्ज की गई हैं ; और

(घ) क्या विशेष रूप से महाराष्ट्र में एडीआर तंत्र को बढ़ाने में कोई राज्य-विशिष्ट पहल या सफलता हासिल की गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ग) : पिछले दशक के दौरान, भारत सरकार ने वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) तंत्र के क्षेत्र में विभिन्न पहल की है । सरकार, माध्यस्थम् और मध्यकता सहित वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) तंत्र को बढ़ावा दे रही है, क्योंकि ये तंत्र कम प्रतिकूल हैं और विवादों को सुलझाने के पारंपरिक तरीकों का बेहतर विकल्प प्रदान करने में सक्षम हैं। इन तंत्रों को मजबूत करने के लिए और उन्हें अधिक प्रभावकारी और त्वरित बनाने के लिए विभिन्न पहले की गई हैं । इस संबंध में पिछले कुछ वर्षों में केन्द्रीय सरकार की गई प्रमुख पहलों में निमलिखित शामिल है;

(i) माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 को क्रमिक रूप से वर्ष 2015, 2019 और 2020 में संशोधित किया गया है । इन संशोधनों का उद्देश्य माध्यस्थम् कार्यवाहियों का समय पर समापन, मध्यस्थों की तटस्थता, माध्यस्थम् प्रक्रिया में न्यायिक हस्तक्षेप को न्यूनतम करना और माध्यस्थम् पंचाटों का प्रभावकारी प्रवर्तन सुनिश्चित करना है । संशोधनों का अतिरिक्त उद्देश्य संस्थागत माध्यस्थम् को बढ़ावा देना, सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं को प्रतिबिंबित करने के लिए विधि को अद्यतन करना और अस्पष्टताओं का समाधान करना भी है, जिससे एक माध्यस्थम् पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित हो सके, जहां माध्यस्थम् संस्थाएं फल–फूल हो सकें ।

(ii) भारत अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र अधिनियम, 2019, संस्थागत माध्यस्थम् को सुकर बनाने के लिए एक स्वतंत्र, स्वायत्त और विश्वस्तरीय निकाय सृजित करने के प्रयोजन के लिए और केंद्र को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करने के लिए भारत अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र (केंद्र) की स्थापना का उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया था । तब से केंद्र की स्थापना की गई है और इसका उद्देश्य माध्यस्थम् के माध्यम से वाणिज्यिक विवादों के समाधान के लिए एक तटस्थ विवाद समाधान मंच प्रदान करने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों पक्षों के बीच आत्मविश्वास उत्पन्न करना है । केंद्र ने कुशल और समयबद्ध माध्यस्थम् प्रक्रिया पर ध्यान देने के साथ घरेलू और अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थमों के संचालन की सुविधा के लिए भारत अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र(माध्यस्थम् का संचालन)विनियम, 2023 को भी अधिसूचित किया है । भारत अंतरराष्ट्रीय माध्यस्थम् केंद्र अधिनियम, 2019, की धारा 28 के अधीन स्थापित माध्यस्थम् चैम्बर घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों माध्यस्थम् के लिए विख्यात मध्यस्थों का पैनल बनाना जारी रखता है । केंद्र को देश में एक आदर्श माध्यस्थम् संस्था बनाने की परिकल्पना की गई है, जिससे माध्यस्थम् के लिए संस्थागत रूपरेखा की क्वालिटी बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त होगा । वर्तमान में, केंद्र के तत्वावधान में 13 माध्यस्थम् मामले चल रहे है ।

(iii) वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015,को वर्ष 2018 में अन्य बातों के साथ संस्थन-पूर्व माध्यस्थम् और निपटारा (पीआईएमएस) तंत्र का उपबंध करने के लिए संशोधित किया गया था । इस तंत्र के अधीन, जहां विनिर्दिष्ट मूल्य का वाणिज्यिक विवाद कोई तत्काल अंतरिम अनुतोष अनुध्यात नहीं करता है, पक्षकार को, न्यायालय जाने से पहले पीआईएमएस के आज्ञापक उपचार का उपयोग करना होगा । इसका उद्देश्य पक्षकारों को माध्यस्थम् के माध्यम से वाणिज्यिक विवादों के समाधान का अवसर प्रदान करना है ।

(iv) मध्यकता अधिनियम, 2023, विवाद के पक्षकारों द्वारा अपनाई जाने वाली मध्यकता के लिये कानूनी रूपरेखा अधिकथित करता है, विशेष रूप से संस्थागत मध्यकता जिसमें देश में एक मज़बूत और प्रभावोत्पादक मध्यकता पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने के लिये विभिन्न पणधारियों की पहचान भी की गई है । मध्यकता अधिनियम, 2023 की धारा 43 जो सामुदायिक मध्यकता से संबंधित है,का उद्देश्य किसी भी क्षेत्र या स्थान में शांति ,सामंजस्य और प्रशांति को प्रभावित करने वाले विवादों का समाधान करना है, विशेष रूप से विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम,1987 के अधीन गठित प्राधिकरण या यथास्थिति, जिला मजिस्ट्रेट या उप-प्रभागीय मजिस्ट्रेट द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले सामुदायिक मध्यकताओं के स्थायी पैनल में महिलाओं और अन्य वर्ग के प्रतिनिधित्व का उपबंध करती है।

(v) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 को समाज के कमजोर वर्गों को नि:शुल्क और सक्षम विधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरणों का गठन करने के लिए अधिनियमित किया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आर्थिक या अन्य नि:शक्तताओं के कारण किसी नागरिक को न्याय प्राप्त करने के अवसरों से वंचित न किया जाए और यह सुनिश्चित करने के लिए लोक अदालतों का आयोजन किया जाए कि विधिक प्रणाली का प्रचालन समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा दे। अधिनियम की धारा 4 अन्य बातों के साथ, केन्द्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण को समझौतों, माध्यस्थम् और सुलह के माध्यम से विवादों के निपटारे को प्रोत्साहित करने में सक्षम बनती है। लोक अदालत ने संपूर्ण देश में सीमांत समुदायों सहित नागरिकों के लिए उपलब्ध एक मंच के रूप में स्थान बनाया है, जहां विवादों या लंबित मामलों या पूर्व-मुकदमेबाजी चरण का सौहार्दपूर्ण समाधान किया जाता है । विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अधीन लोक अदालत द्वारा दिया गया निर्णय सिविल न्यायालय की डिक्री समझा जाता है और यह अंतिम होता है तथा सभी पक्षकारों पर बाध्यकारी होता है और इसके विरूद्ध किसी भी न्यायालय में कोई अपील नहीं की जा सकती है । लोक अदालत कोई स्थायी संस्था नहीं है तथा समय समय पर पूर्व नियत तारीख पर तालुकों और जिलों में राष्ट्रीय लोक अदालते आयोजित की जाती है ।

(घ) : चूंकि वैकल्पिक विवाद समाधान की विषय-वस्तु जिसके अंतर्गत माध्यस्थम् भी है, भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची की परिधि में आते है, अतः सरकार द्वारा कोई राज्य

विशिष्ट पहल नहीं की गई है।

****